न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
22/अपील/2019	29.01.2019	26.07.2019

लक्ष्मण, लालचंद, चिरंजी आ. साधूराम जाति ओठ निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

– अपीलांटस

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30.09.2016
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–

अपीलांट की ओर से – श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्टस ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्टस को आराजी खसरा नम्बर 209/1639, 209/1641, 209/1642, 209/1644, 209/1645 कुल किता 05 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा, किस्म सिवायचक वाके ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 1336/– रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्टस व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्टस गरीब कृषक है जिसके पास आबादी भूमि में कोई मकान नहीं है।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/2

अपीलान्टस उक्त भूमि पर मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। जो अपने पिता के जीवन काल से ही लगभग 60–70 वर्षो से निवास कर व काश्त कर अपने परिवार का गुजर–बसर कर रहे है। अपीलान्टस उक्त भूमि को नियमन कराने का अधिकार रखता है। अपीलान्टस ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को कोई सुनवाई का अवसर नहीं देते हुये एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्टस अपने कर्जे के सम्बन्ध में साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज पेश नहीं कर सका। अपीलान्टस को मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। अपीलान्टस का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्टस का पुराना कब्जा काश्त होने से मकान जानवर बांधने व चारा रखने के लिये बाडा बनाकर मवेशी आदि रखने हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार सिवायचक, चरागाह भूमि पर 1970 से पूर्व के कब्जो को नियमन करने के राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 9(6)राज–6/2000 दिनांक 30.01.2006 के द्वारा जारी अधिसूची में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक एवं अन्य गैर मू. भूमियों पर दिनांक 01.01.1995 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाडे बनाकर किये गये अतिक्रमणों का नियमन करने के निर्देश है जो अब राज्य सरकार ने दिनांक 01.01.1995 की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 01.01.2000 कर दिया है। अतः अपीलान्टस उक्त भूमि को नियमन करवाने का अधिकार रखते है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाते हुये अपीलान्टस के कब्जे की भूमि अपीलान्टस को नियमन किये जाने का आदेश प्रदान करे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्टस ने राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। उक्त विवादित भूमि पूर्व में गैर खातेदारी दर्ज थी। जो राजकीय सिवायचक दर्ज हुई है। जिस पर अपीलान्टस ने कब्जा कर फसल की बुवाई की है। मौके पर कोई मकान इत्यादि नहीं बने हुये है। अपीलान्टस का पुराना कब्जा काश्त नहीं है। भूमि नियमन की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्टस द्वारा पुराना कब्जा काश्त के संबंध में कोई दस्तावेज राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया है। जिससे अपीलान्ट का पुराना कब्जा काश्त मकान, बाडा साबित नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्टस ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक भूमि है जो पूर्व में गैर खातेदार दर्ज थी। गैर खातेदारी से सिवायचक दर्ज हुई है। जिस पर अपीलान्टस ने बुवाई करके अतिक्रमण किया है। अपीलान्टस ने निवेदन किया है कि विवादित भूमि पर उनका पुराना पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त है। नियमन फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A6
3

व अपील के साथ अपीलान्टस ने कोई साक्ष्य, दस्तावेज व राजस्व रेकार्ड की पुराना कब्जा काश्त होने बाबत् पेश नहीं किये है। जिससे अपीलान्टस का पुराना कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्टस को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्टस ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्टस मय शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्टस ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावें। यदि अपीलान्टस उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश जोशी R.A.S.)
अति0 जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)